

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-2)विभाग

कमांक प0 17(14)कार्मिक/क-2/2014

जयपुर, दिनांक 10 NOV 2014

परिपत्र

1. समरत् अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समरत् विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलकर्टर्स सहित)

विषय:-राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्ती के संबंध में।

इस विभाग की अधिसूचना कमांक प0 8(7)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 29.1.2014 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड नियम, 2014 जारी किये गये। उक्त नियमों के नियम-8 में बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कृत्यों के संबंध में निम्न प्रावधान विहित हैं:-

8.Functions of the Board:- Notwithstanding anything contained in any rules governing the direct recruitment, the recruitment to the post of subordinate and ministerial services as may be specified by the government, from time to time, shall be made by the board. The Board shall among other things, conduct examinations and / or hold interviews, whenever required in the selection process according to the relevant recruitment rules.

अतः उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में समरत् नियुक्ति प्राधिकारियों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ग्रेड-पे रूपये 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के ऐसे समरत् पदों पर भर्ती की कार्यवाही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से की जानी है। इस हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आलाका गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, गोनेर, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

८५

(शैलेन्द्र श्रीमाली)

संयुक्त शासन सचिव